

**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री दीनदयाल बाकोलिया, आर.ए.एस.

**तोपकंवर बनाम कुशालसिंह आदि**

**दावा बाबत :- घोषणात्मक, कब्जा प्राप्ति, बंटवारा एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।**

मुकदमा न. 11/2001

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु .....  
हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीनी मिनजानिब मुद्ई व परोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्की दी जाती है कि पक्षकारों का वाद डिक्की योग्य होने से अंतिम रूप से इस प्रकार डिक्की किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 132 तादादी 11-00 बीघा तथा खसरा संख्या 80 तादादी 29-08 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 671/80 तादादी 14-14 बीघा, खसरा संख्या 672/80 तादादी 14-14 बीघा तथा खसरा संख्या 248 तादादी 27-08 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 673/248 तादादी 13-14 बीघा, खसरा संख्या 673/248 तादादी 13-14 बीघा वाके रोही परावा तहसील बीदासर जिला चूरु के वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अंकन को निरस्त कर खेत खसरा संख्या 132 तादादी 11-00 बीघा भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 674/248 तादादी 13-14 बीघा भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 671/80 तादादी 14-14 बीघा में सें उतरी साईड की 3-14 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कुशालसिंह दत्तक पुत्र नाहरसिंह जाति राजपुत निवासी परावा के नाम से दर्ज करने व खसरा संख्या 671/80 तादादी 14-14 बीघा में सें दक्षिणी साईड की 11-00 बीघा भूमि व खसरा संख्या 673/248 तादादी 13-14 बीघा भूमि सम्पूर्ण वादीनी तोपकंवर पत्नि नरपतसिंह पुत्री नहारसिंह जाति राजपुत निवासी नाथावतपुरा तहसील व जिला सीकर के नाम से दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। अन्तिम डिक्की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज ..... मुबलिंग ..... बाबत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलमाबी तक ..... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.04.2018



दस्तखत उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)  
ओहदा .....

मुहर

मुद्ई	रुपया	पै.	मुदायलोई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्की के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)